

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)  
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान.....खिड़क.....

दिनांक :- 29/1/23

-:: आदेश ::-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खिड़क व भू-अभिलेख निरीक्षक खिड़क की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खिड़क की खिड़क तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 35 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	खिड़क की सुपडिक	35	खजना पुत्र केबीयम 1/48 गुफ्ट सा. ६६ (वर्ष १९६८)	खजनाल पुत्र केबीयम 1/48 गुफ्ट सा. ६६ (वर्ष १९६८)

(DA)

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.  
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

दिनांक :- 29/1/23

क्रमांक / 218  
प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, ..... को भजे कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचना देना।
3. रक्षित पत्रावली।

(DA)

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.  
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)  
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान सिधपुर

दिनांक - 27/06/23

**-: आदेश :-**

पार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिधपुर व भू-अभिलेख निरीक्षक सिधपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खानेवाला/कुर्ज तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्बत 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 103 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>खानेवाला/कुर्ज</u>	<u>103</u>	<u>खानेवाला पुत्र बेगीराम हिस्सा 1/48 जामि कुर्जर साइड एवालेदार</u>	<u>खानेवाला पुत्र बेगीराम हिस्सा 1/48 जामि कुर्जर साइड एवालेदार</u>

( ds )

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

दिनांक 07/07/2023

क्रमांक 218

प्रतिलिपी :-  
1. तहसीलदार, कपासन को भजे कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।

3. रक्षित पत्रावली।

( ds )

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)  
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान रिहपुर

दिनांक - 24/05/23

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रिहपुर व भू-अभिलेख निरीक्षक रिहपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खारोला की उपखण्ड कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 22 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>खारोला</u> श्री <u>कुंभडिया</u>	22	<u>दुबन पुत्र केजीराम दिरसा</u> 1/3 जाति गुर्जर साहेब दिरसा <u>खारोला</u>	<u>दुबानलाल पुत्र केजीराम</u> 1/3 जाति गुर्जर साहेब दिरसा <u>खारोला</u>

( df )

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.  
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

दिनांक: 27/7/2023

क्रमांक / 218

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, कपासन को भजे कर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

( df )

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.  
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)  
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान सिंदपुर

दिनांक - 27/08/23

-:: आदेश ::-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिंदपुर व भू-अभिलेख निरीक्षक सिंदपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशांका के आधीर पर प्रस्तुत भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खारोला व सुपडियां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 100 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>खारोला</u> <u>की</u> <u>सुपडियां</u>	<u>100</u>	<u>खगना पुत्र बेगीराज हिरसा</u> <u>1124 जाति गुर्जर सा-देह</u> <u>खातेदार</u>	<u>खगनलाल पुत्र बेगीराज</u> <u>हिरसा 1124 जाति गुर्जर</u> <u>सा-देह खातेदार</u>

( dt )

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.  
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़  
दिनांक :- 02/09/2023

क्रमांक / 218

- प्रतिलिपी :-
1. तहसीलदार, कपासन को भजे कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
  2. प्रार्थी श्री खारोला को सूचनाार्थ।
  3. रक्षित पत्रावली।

( dt )

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.  
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़